

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT- I)
MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002

कार्यालय आदेश / Office Order –97

दिनांक:— **13/09/2020**

मुख्यालय के पत्र संख्या 978-स्टाफ (नियुक्ति I)/10-2020/भाग-IV दिनांक 17.08.2020 के अनुपालन में, इस कार्यालय से कार्यालय वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय, लखनऊ, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तार की स्वीकृति उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी अवधि हेतु वर्तमान विद्यमान शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है—

In compliance of Headquarters letter no.978-Staff(App-I)/10-2020/Vol.IV dated:17.08.2020, the deputation period of following Assistant Audit Officers who are posted on deputation from this office to O/o F & T Audit Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh is extended as below under existing terms & conditions:-

स.क्र S.N.	अधिकारी का नाम/स्थायी ब्रमांक (सर्व श्री) Name & Permanent no. of Officer (S/Shri)	पदनाम Designation	वर्ष Year	प्रतिनियुक्ति की विस्तारित अवधि Extended period of deputation
1.	अभिनव त्रिपाठी 02 / 10514	सहायक लेखापरीक्षा अधि कारी	दसवां	13.07.2020 से 31.10.2020
2.	अनिलेंद्र अवस्थी 02 / 10512	सहायक लेखापरीक्षा अधि कारी	दसवां	16.07.2020 से 31.10.2020

यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी जो एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत बढ़े हुए वेतन का लाभ ले रहे हैं एवं ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के पाँच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

It is also intimated that, those officers/officials who are on deputation and are drawing upgraded pay under MACP scheme and those officers/officials who have completed deputation period of five years are not entitled for Deputation (Duty) Allowance.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित—

- 1 सचिव, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
- 2 उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
- 3 वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत।
- 4.निदेशक, वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय, लखनऊ, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, टी.सी.-35-V/1, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226 010 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति पर इस कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।।

5.उप निदेशक (लेखापरीक्षा) डाक एवं दूरसंचार, एनेक्सी संचार भवन, BSNL कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड,भोपाल।

6.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा-1)/कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एव संचार, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को सूचनार्थ।

7.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय, लखनउ, चतुर्थ तल,ऑडिट भवन,टी.सी.-35-V/1, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनउ उत्तर प्रदेश 226 010 की ओर प्रेषित करलेख है कि कृपया संबंधित अधिकारियों की सेवा-पुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती में टीप करने की व्यवस्था करने काकष्ट करें।

8.भुगतान एवं लेखा अधिकारी प्रभारी पी.ए.ओ. 2/5, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम लेखा भवन, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

9 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन - 12,13,14, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, Training/Exam, ITA

10 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई. एस. एण्ड डी.ए.सी, को इन्ट्रानेट पर "Administration-Personnel" लिंक एवं कार्यालय की वेबसाइट पर अन्तर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11 श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय / स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12 महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।

13 संबंधित अधिकारी।

हार्ड कॉपी के माध्यम से

14 सूचना पटल/ऑडिट भवन।

15 गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11